फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ख्यालीराम बनाम खुमाराम

नम्बर 25 / 2019

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.19	अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए कथन किया चक कृष्णनगर के खसरा नम्बर 257/2 तादादी 17 बीघा अनकमाण्ड भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की 4 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है इसलिए अपीलांट को अतिक्मी धोषित करते हुए बेदखल किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाझान की कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित किये गये है। उक्त आदेश बिना माईण्ड एप्लाई किये पारित किया गया आदेश है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट परिवार सहित निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। सीमाझान की आड़ में यदि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 257/2 तादादी 17 बीघ भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया।	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज करते हुए तहसीलदार, छत्तरगढ़ को आदेशित किया गया है कि वे दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान की कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करें। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट सीमाज्ञान की आड़ में उसके धारण की भूमि से बेदखल करने पर अमादा है।

प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद पक्षकारों के धारण की भूमि के सीमाज्ञान को लेकर है। जिसकी सही स्थिति सीमाज्ञान के उपरान्त ही तय होनी है। दौराने सीमाज्ञान दोनों पक्षकार यदि वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ बढ़ेंगी। अतः रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वे अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान न होने तक अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 257/2 रकबा 17 बीघा के वर्तमान कब्जा काश्त में दखल न करें तथा सीमा चिन्ह् के साथ छेड़छाड़ ने करें। पत्रावली उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(राम[illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।